ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-8* November-2020
Anthology : The Research

मानवाधिकारः ऐतिहासिक एवं सैंद्धातिक परिप्रेक्ष्य

Human Rights : In Historcial And Theoretical Perspective

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 26/11/2020, Date of Publication: 27/11/2020

राजेश शर्मा
सह आचार्य,
आर्थिक प्रशासन–वित्तीय प्रबन्ध विभाग,
राजकीय कन्या स्नात.
महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर,
राजस्थान, भारत

सारांश

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत एवं घोषित किया। इस घोषणा ने न सिर्फ मनुष्य जाति के अधिकारों को बढाया वरन् स्त्री और पुरूषों को भी समान अधिकार प्रदान किए। व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा से सम्बन्धित अधिकारों को मानव अधिकार माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विश्व स्तर पर स्थापित संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी कतिपय अधिकारों को मानव अधिकारों के समतुल्य माना गया है। इनमें स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, हिरासत में यातना एवं दुर्व्यवहार नहीं किये जाने व स्त्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किये जाने सम्बन्धी अधिकार भी सम्मिलित है।

भारत ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन मानवाधिकारों की रक्षा सुनिशिचित करने के लिए संघ स्तर पर तथा राज्यों के स्तर पर मानवाधिकार आयोगों की स्थापना को आवश्यक कर दिया है। इन आयोगों की स्थापना से नागरिकों में अधिकारों के बारे में अभिरूचि तथा चेतना का विकास हो रहा है। मानव अधिकार के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए है, इनमें से कई मुददों तो सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार देखे जा रहे है।

आज के परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार और उसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है एवं मानव अधिकारों का सम्मान एक गंभीर चिंतन का विषय बन गया है।

On 10 December 1948, the General Assembly of the United Nations approved and declared the Universal Declaration of Human Rights. This declaration not only enhanced the rights of mankind, but also gave equal rights to men and women. Rights related to life, liberty and prestige of a person are considered human rights. The United Nations, a globally established organization for international cooperation, has also recognized certain rights as equivalent to human rights. These include the right to live in a clean environment, torture and detention in custody, and the right to respect women.

India has mandated the establishment of human rights commissions at the Union level and at the States level to ensure the protection of human rights under the Protection of Human Rights Act 1993. With the establishment of these commissions, interest and consciousness about the rights of citizens is developing. Taking the issues of human rights seriously, the Commission has done many important works, many of these issues are being seen directly as per the directions of the Supreme Court of India.

In today's perspective, human rights and its protection is the duty of every citizen and respect for human rights has become a matter of serious consideration.

मुख्य शब्द : मानवाधिकार अवधारणा, ऐतिहासिक/सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य, मानव Human Rights Concept, Historical / Theoretical Perspective, Background of Human Rights.

प्रस्तावना

व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा से सम्बन्धित अधिकारों को मानव अधिकार माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विश्व स्तर पर स्थापित संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी कतिपय अधिकारों को मानव अधिकारों के समतुल्य माना गया है। इनमें स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, हिरासत

में यातना एवं दुर्व्यवहार नहीं किये जाने व स्त्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किये जाने सम्बन्धी अधिकार भी सम्मिलित है।

मानव जीवन प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया जाता है, ऐसी स्थिति में जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक मानव को कतिपय अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकारों से भी बढकर होते हैं। इसका कारण है कि जीवन प्रकृति का उपहार है तथा इस रूप में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार किये जाने संबंधी अधिकार जन्मजात प्राप्त माने जाते है।

अध्ययन का उद्देश्य

मानवाधिकार की अवधारणा एवं इसके महत्व को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जा चुका है। सम्राट अशोक के अभिलेखों एवं प्राचीन बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्म ग्रन्थों में मानवाधिकार संबंधी विचार प्रारंभ से ही दृश्यगत होते है। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इनमें हुए परिवर्तनों, विश्वव्यापी व्यवस्था, भारत में इनकी स्थिति एवं इनसे संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करना है।

मानव एक सामाजिक प्राणी है। इस दृष्टि से उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करें कि जो उसके स्वंय के परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण व विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक स्तर पर भेदभाव ना किये जाने जैसे नागरिक अधिकार व शिक्षा का अधिकार जैसे राजनैतिक अधिकार भी इन अधिकारों के ही भाग हैं।

मूल अधिकार एवं मानव अधिकार में अन्तर

मानव को मानव के नाते प्राप्त अधिकार मानवाधिकार कहलाते है। ये अधिकार किसी देश की सीमा से बंधे नहीं होते जबकि मूल अधिकार मानव को नागरिक होने के नाते देश/राज्य द्वारा प्रदान किए जाते है।

मानव अधिकारों की पृष्ठ भूमि

महान सम्राट अशोक के आदेश पत्रों में एवं धर्म व दर्शन की प्राचीन पुस्तकों में ऐसे अनेकों उदाहरण व अवधारणाऐं है जो मानव अधिकारों के प्रतिरूप है। कालान्तर में समय–समय पर इन अवधारणाओं में परिवर्तन व परिवर्द्धन होते रहे जो निरन्तर जारी हैं। यूरोप में मानव अधिकारों का प्रारम्भ वर्ष 1525 से माना जाता है जिसका आधार 'द ट्वेल्व आर्टिकल्स ऑफ ब्लैक फोरेस्ट' को माना जाता है जो वास्तव में जर्मनी में किसानों द्वारा अपने अधिकारों के लिए उठाई गई आवाज का मांग पत्र है।

यू.के. में 'पिटीशन ऑफ राईट्स' (1628) में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है व 'स्ट्रेटस ऑफ नेचर' (1690) नामक पुस्तक के लेखक जॉनलाक ने भी इन अधिकारों का वर्णन किया है। इसी प्रकार वर्ष 1791 में ब्रिटीश बिल ऑफ राईट्स ने इंग्लैण्ड में सरकारी स्तर पर हो रही दमनकारी कार्यवाहियों को गैरकानूनी करार दिया। 18वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका (1776) में हुई क्रांति के परिणास्वरूप वहां हुई स्वतंत्रता की घोषणा व 1789 में फ्रांस में हुये जनआंदोलन के परिणामस्वरूप फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त हुये मानव अधिकारों को इस दिशा में मील का पत्थर माना जाता है। इन क्रान्तियों ने ही कुछ निश्चित कानूनी अधिकारों की स्थापना की जिन्हें कालान्तर में वहां के संविधानों में भी स्थान दिया गया।

मानव अधिकारों की आधुनिक अवधारणा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह माना गया है कि व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि मानव गरिमा एवं स्त्री–पुरूष के अधिकार समान तथा अविछिन्न है। मानव अधिकारों की महत्ता को प्रतिपादित करता है।

10 दिसम्बर 1948 को इन अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौम घोषित किया गया साथ ही स्त्री–पुरूषों के अधिकारों को समान मानते हुए उन्हें एक समान अधिकार प्रदान करने की घोषणा भी की गई। इस घोषणा से प्रेरित हो सभी राष्ट्रों ने इन अधिकारों को अपने संविधान अथवा अधिनियमों द्वारा मान्यता प्रदान की तथा इन अधिकारों के क्रियान्वयन की दिशा में अग्रसर हुयें। प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मानने की परम्परा इन अधिकारों की महत्ता तथा इनके लिए किये गये संघर्ष तथा इनकों सशक्त बनाये जाने का ही संकल्प है। मानव अधिकारों को नया आयाम देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

समय–समय पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास किये जाते रहे है। इसी तारतम्य में सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित कर किसी भी प्रकार के उत्पीडन की निंदा करते हुए उसे अमानवीयकरार दिया गया। सन 1993 से 2003 तक के दशक को इसी कारण नस्लवाद विरोध दशक के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया। महिला अधिकारों के संरक्षण को तवज्जो देते हुए सन् 1993 में एक प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें मजबूती दी गयी। शिशु अधिकारों को बल प्रदान करने के लिए सन 1959 तथा सन् 1989 में विशेष प्रबन्ध बनाये गये जिसमें विशेष रूप से शिशु के जीवन यापन के अधिकार से लेकर उसके संरक्षण के अधिकार तक की विस्तृत चर्चा की गयी। इसी प्रकार अल्पसंख्याकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी महासभ ने समय–समय पर चिंतन किया है। इसके अतिरिक्त मजदूरों तथा उनके परिवारों की सुरक्षा के प्रावधान भी मानवाधिकारों में शामिल किये गये।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वार बढावा दिए जाने की वजह से विश्व भर में मानव अधिकारों को लागू करने एवं बनाए रखने की कोशिश बढ़ गई है। एक सामान्य व्यक्ति इन संगठनों पर इसी प्रकार विश्वास कर सकता है। जिस प्रकार वो अपनी सरकार एवं स्थानीय प्रशासन पर भरोसा करता है। यह संगठन समानता एवं न्याय की मशाल लिए अग्रदूत की तरह कार्य कर रहे है। यही वजह है कि अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति एवं विधि निर्माण करते समय मानव अधिकारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का जो प्रारूप तैयार किया उसमें प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर लैंगिक समानता की आवश्यकता के सन्दर्भ में भारत ने छः प्रमुख मानवाधिकार प्रतिज्ञा पत्रों व बच्चों के अधिकारों से

संबंधित करार पत्र पर भी हस्ताक्षर कर इस क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है।

'मानवाधिकारों से भारतवर्ष का नाता बहुत पुराना है। हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' को अपना सूत्र वाक्य मानते है। संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को 'जियो और जीने दो' का आदर्श वाक्य देते हुए आपसी प्रेम स्नेह का संचार करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है।

भारत ने संविधान द्वारा प्रदत्त किये गये मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आरम्भ से ही यह सिद्ध कर दिया है कि वह लोककल्याणकारी राज्य रहेगा जिसमें मौलिक अधिकारों के रूप में प्रतिष्ठा पूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में जीवन जीने का अधिकार यहां के प्रत्येक नागरिक को होगा।

भारत में मानवाधिकार

भारत ने अपने संविधान में सार्वभौम घोषणा के अधिकांश अधिकारों को दो भागों – 1. मौलिक अधिकारों 2. राज्य नीति निर्देशक तत्वों के रूप में सम्मिलित कर अपनी आस्था की पुष्टि की है।

भारतीय न्यायालयों द्वारा मानवाधिकारों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की बात भी स्वीकार की गयी है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा भारत में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु कानून बनाया गया। जिसे 28 सितम्बर 1993 से लागू किया गया। इस अधिनियम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं मानवाधिकार न्यायालय स्थापना संबंधी विषयों को समाविष्ट किया गया। भारत में 12 अक्टूबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। आयोग को किसी शिकायत की जांच करते समय सिविल न्यायालय के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। प्रकरणों का अनुसंधान करने के लिए आयोग के पास पुलिस दल भी है।

मानव अधिकारों के उल्लघंन, अपराध एवं सम्बन्धित विवादों का त्वरित निस्तारण किए जाने के लिए मानवाधिकार न्यायालयों के गठन किए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

मानव अधिकारों का उल्लंघन

यद्यपि मानव अधिकारों को अधिनियम द्वारा संरक्षा प्रदान की गई है परन्तु बहुधा इसका उल्लंघन भी देखने को मिलता है। विशेषकर पुलिस कार्यवाही के दौरान पूछताछ की स्थिति में। इसके अतिरिक्त सरकारी स्तर पर भी कई बार मानव अधिकारों का उल्लघंन दिखाई पड़ता है। हमारे देश में 'मानवाधिकारों' की स्थिति वास्तव में जटिलता में देखी जा रही है। राजनैतिक हस्तक्षेप तथा धार्मिक क्षेत्र में मानवाधिकारों की मनमाफिक व्याख्याऐं इन अधिकारों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या है। धर्म का मूल उद्देदश्य व्यक्तियों को परस्पर स्नेह से रहना सिखाता हैं परन्तु आज कट्टरपंथी समुदायों के द्वारा वेवजह व्यक्तियों को मारा जा रहा है, वहीं यह भी विडम्बना है कि शिक्षा से वंचित व्यक्ति अपने सामान्य अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे है।

भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, और बलात्कार जैसे दानवों से घिरी दुनियॉ मानवाधिकारों की जरूरत को रेखांकित करते–करते अकसर थक सी जाती है। प्रादेशिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का परिदृश्य तमाम तरह की विसंगतियों और विद्पताओं से भरा पड़ा है।

निष्कर्ष

10 दिसम्बर सन् 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अस्तित्व में लाये गये 'मानवाधिकार' ने अब तक 71 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। इन अधिकारों के जन्म लेने के साथ ही इसमें शामिल सदस्यों का यह कर्तव्य बन गया है कि वे 'मानवाधिकारों' का संरक्षण और उनकी देखभाल करें। वास्तव में देखा जाये तो मानवीय जीवन और अधिकार की रक्षा उस देश के 'मानवाधिकार' कानूनों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है। आज दुनियाभर में मानव द्वारा मानव का शोषण किया जा रहा है जिसके प्रमुख कारकों में नस्ल, धर्म, रंग–भेद एवं जाति है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई भी मूल्य नहीं है यदि मानवाधिकारों की सुरक्षा ना हो सके।

भारत में भी 1993 में मानवाधिकार अधिनियम पारित कर मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है, तथा मानव अधिकार आयोग ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य भी किए है। आज के परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार एवं उसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, परस्पर सम्मान एवं सद्भाव के द्वारा ही हम मानव अधिकारों की रक्षा कर सकते है। सम्पूर्ण मानवीय प्रजाति को प्रदान किए गए इस अधिकार की गहराई में जाकर चिन्तन करे तो आतंकवाद एवं नस्लवाद ही मानव अधिकार के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में दिखाई पड़ रहे है। शिक्षा का अभाव भी मानव अधिकार की सफलता में एक बड़ी बाधा है।

मानव समाज में जो समस्याऐं उपस्थित है उनसे निपटना ही मानवाधिकार की संकल्पना का लक्ष्य है। प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं के चलते जो लोग शिकार हो रहे है या पीड़ित अथवा परेशान चल रहे है, उनके मानवाधिकारों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित जान पड़ रहा हैं। इन सारे मामलों में कानून को भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना होगा। विकास के साथ मानवता के आपसी रिश्तों को भी ध्यान मे रखना होगा। अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियों की भी महत्ती आवश्यकता है। मानवाधिकार संबंधी घोषणाऐं महज दस्तावेजी बनकर न रह जाए तभी प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मनाऐं जाने वाले मानवाधिकार दिवस की सरर्थकता है। मानव अधिकार की लड़ाई हम सभी की लड़ाई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *मानवाधिकार अधिनियम 1993*
2. *डॉ. वी.एम. जैन – अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध*
3. *राष्ट्रपति सुकार्णो का भाषण – 1950*
4. *विश्व मामले, जनवरी – मार्च, 1998 जिल्द 02 क्र. 01 पृष्ठ 22*
5. *शर्मा एण्ड कोठारी – आधुनिक विश्व का इतिहास, पृष्ठ 558*
6. *इबिड – पृष्ठ 25*
7. *यू.आर.घई – अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त और व्यवहार, पृष्ठ 283*